राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आदेश

S.B.Criminal Writ Petition No. 1072/2018

Nirbhay Singh S/o Shri Hotam Singh B/c Gurjar, Aged About 77 Years, R/o Moroli, Dev Ka Pura, Dholpur, Raj., At Present In Front Of Rishabh Petrol Pump, G.t. Road, Dholpur, Raj.

----Petitioner

Versus

- 1. State Of Rajasthan, Through Home Secretary, Secretariat, Jaipur.
- 2. Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
- 3. Inspector General Of Police, Range Bharatpur, Rajasthan.
- 4. Superintendent Of Police, Dholpur.

----Respondents

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अनिल जैन। लोक अभियोजक श्री प्रशांत शर्मा। श्री सुमन कुमार, उ.नि. थाना कोतवाली, धौलपुर।

ः आदेश दिनांक ः 03.5.2019

याची की ओर से यह फौजदारी रिट याचिका प्रस्तुत कर याची एवं उसके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान कर गांव में पुनर्वास कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने का निवेदन किया है। योग्य लोक अभियोजक ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की जावे।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता याची की मात्र यही प्रार्थना रही कि याची की ओर से गांव में पुनर्वास के क्रम में संबंधित पुलिस थानाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच की जाकर याची व उसके परिवार के गांव में शांतिपूर्ण पुनर्वास में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दखल दिया जाना पाये जाने पर उन्हें पाबन्द किये जाने हेतु विधिनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत संबंधित पुलिस थानाधिकारी को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया।

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश की पालना के क्रम में संबंधित एसएचओ की ओर से उपस्थित उप निरीक्षक ने प्रकट किया कि यदि याची इस न्यायालय के आदेश की पालना में संबंधित पुलिस थानाधिकारी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विचार किया गया।

योग्य अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फौजदारी रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची की ओर से संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थानाधिकारी नियमानुसार जांच करे एवं याची व उसके परिवार को गांव में शांतिपूर्ण पुनर्वास के कम में आवश्यक कार्यवाही करे। याची व उसके परिवार को परिवार को गांव में पुनर्वास के कम में किसी भी असामजिक तत्व द्वारा बाधा पहुचाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थानाधिकारी उन्हें पाबन्द किये जाने हेतु विधिनुसार कार्यवाही करे।

S.B.Criminal Writ Petition No. 1072/2018

3

उक्त निर्देश के साथ यह फौजदारी रिट याचिका उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

> (महेन्द्र माहेश्वरी) न्यायाधिपति

एम शर्मा / 70